रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1987/वैशाख 24, 1909
No. 102] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1987/VAISAKHA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1987

संकल्प

फा. सं. 6 (15)/86-का. से. —केन्द्रीय सरकार, सरकार के तारीख 19 फरवरी, 1987 के समसंख्यांक संकल्प के क्रम में, न्यायमूर्ति श्री आर. एस. पाठक, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का उच्चतम न्यायालय और प्रमुख संरक्षक, विधिक

सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के अधीन विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन करती है :—

(1) न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय —कार्यपालक अध्यक्ष

(2) न्यायमूर्ति श्री एन. डी. ओझा, मुख्य न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय —सदस्य

(3) न्यायमूर्ति श्री वी. रत्नम, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय —सदस्य

(4) सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य

(5) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य

(6) सचिव, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति —सदस्य-सचिव

(प्रमुख संरक्षक से परामर्श करके कुछ अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जा सकेंगे)

2. कार्यपालक अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

3. यह सरकार के तारीख 15 अक्तूबर, 1985 के संकल्प सं. एफ. 6(18)/85-का. से. का और उपांतरण करता है।

पी. के. कर्था, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 14th May, 1987

RESOLUTION

No. F. 6(15)/86-IC.—The Central Government in continuation of Government Resolution of even number dated 19th February, 1987 hereby reconstitutes the Committee for Implementing Legal Aid Schemes under Shri Justice R.S. Pathak, Chief Justice Supreme Court of India and Patron-in-Chief. Committee for Implementing Legal Aid Schemes as follows:-

(1) Shri Justice Ranganath Mishra Judge, Supreme Court of India. —Executive Chairman

(2) Shri Justice N.D. Ojha, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court —Member

(3) Shri Justice [illegible] Judge of the Madras High Court —Member

(4) Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Govt. of India —Member

(5) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice —Member

(6) Secretary, CILAS —Member-Secretary

(A few other Members may be appointed in consultation with the Patron-in-Chief).

2. Executive Chairman and other Members shall hold office for a period of one year.

3. This is in further modification of Government Resolution No. E6(18)/85-IC, dated 15th October, 1985.

P.K. KARTHA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987